

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.33(2)गृह-9/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27/08/2020

पुलिस आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर।
समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस।

विषय:- दिनांक 30.08.2020 को मोहर्रम एवं दिनांक 01.09.2020 को अनन्त चतुर्दशी के त्यौहार के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 30.08.2020 को मोहर्रम एवं दिनांक 01.09.2020 को अनन्त चतुर्दशी का त्यौहार मनाये जायेंगे। वर्तमान में कोविड-19 (कोरोना वायरस) का फैलाव एवं प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके दौरान सामाजिक दूरी, सेनेटाइजेशन आदि की अनुपालना हेतु समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी अनुपालना सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।


मोहर्रम एवं अनन्त चतुर्दशी के त्यौहार के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए पर्याप्त सावधानी एवं ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त त्योहारों के दौरान विशेष तौर पर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखे जाना आवश्यक है। उक्त त्यौहार के दौरान शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की सम्भावना हो सकती है।

अतः मोहर्रम एवं अनन्त चतुर्दशी के त्यौहार के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु पूर्ण सावधानी एवं ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित किये जावें। सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रचारित नहीं हो पाये इसके लिए पर्याप्त कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जावे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 (कोरोना वायरस) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में जारी मानक


संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) की अनुपालना भी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,


(एन.एल. मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, इंटेलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान, जयपुर।
5. अवर सचिव, गृह मंत्रालय (IS-I Division : N.I Section) को उनके पत्रांक: 14011/01/2020- N.I (Pt) दिनांक 21.08.2020 के क्रम में।
6. रक्षित पत्रावली।


(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव